बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

का0आ0सं0:–08/अ0प्र0–02–11/2021 233 /पटना, दिनांक:– 08/10/21

कार्यालय आदेश

मुख्य अभियंता–02, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अनुशंसा एवं कर्मी के आवेदन के आलोक में श्री अनन्त कुमार, वरीय लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया की प्रतिनियुक्ति मुख्य अभियंता–02, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में लेखा संबंधित कार्यो के निष्पादन हेतु किया जाता है।

2. इनके वेतनादि का भुगतान अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर इनके मूल पदस्थापित कार्यालय यथा ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया से किया जायेगा।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

8/10/21

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:–08/अ0प्र0–02–11/2021 5090 /पटना, दिनांक:–08/10/21

प्रतिलिपि:–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता–02 ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–08/श्री अनन्त कुमार, लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया को निदेश दिया जाता है कि श्री कुमार को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर विरमित करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा दिनांक–30.11.2021 के अपराह्न से स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

8/10/21

अभियंता प्रमुख

(C.Sh.E.) कार्यालय आदेश